राष्ट्रीय महिला आयोग

तारीख 25 अगस्त, 2020 को राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 207वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित:-

1. सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्ष
2. सुश्री कमलेश गौतम	सदस्य
3. सुश्री सोसो शाइजा	सदस्य
4. सुश्री चंद्रमुखी देवी	सदस्य(जॉइंड ऑनलाइन)
5. सुश्री श्यामला एस. कुंदर	सदस्य
6. सुश्री राजुलबेन एल. देसाई	सदस्य
7. सुश्री मीता राजीवलोचन	सदस्य-सचिव

निम्नलिखित भी उपस्थित:-

1. श्री ए. अशोली चलाई	संयुक्त सचिव
2. श्री प्रदीप कुमार	उप सचिव
3. सुश्री प्रीति कुमार	अवर सचिव
4. सुश्री लोमा वशिष्ट	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
5. सुश्री बर्नाली शोम	अवर सचिव
6. श्री कुंवर पाल सिंह	विशेष रेपोटियर्स
7. सुश्री कंचन खट्टर	वरिष्ठ समन्वयक(सीएंडआई)
8. सुश्री एम. लीलाबती	वरिष्ठ समन्वयक (एन/ई, एस/एम)
9. श्री बंसी लाल	परामर्शदाता (सहायक)

संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 207वीं बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, सदस्यों तथा अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत किया।

कार्यसूची मद सं. 207/I/1:

तारीख 24 जुलाई, 2020 को आयोजित आयोग की 206वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा तारीख 24 जुलाई, 2020 को आयोजित आयोग की 206वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 207/I/2:

तारीख 24 जुलाई, 2020 को आयोजित आयोग की 206वीं बैठक की मदों के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

तारीख 24 जुलाई, 2020 को आयोजित 206वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को आयोग ने नोट किया।

कार्यसूची मद सं. 207/I/3:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित वेबिनार प्रस्ताव (12.05.2020-12.06.2020)।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 10 वेबिनारों का चयन के लिए कार्योत्तर अनुमोदन।
2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 10 वेबिनार प्रस्तावों के चयन के लिए 5,00,000/- रूपये (केवल पांच लाख रूपये) का वित्तीय अनुमोदन। इस रकम में से, आवश्यक दस्तावेजों के प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम किश्त के रूप में 2,50,00/-रूपये (केवल दो लाख पचास हजार रूपये) अर्थात् कुल स्वीकृत राशि का 50% जारी किया जाना है।

कार्यसूची मद सं. 207/I/4:

अनुसंधान अध्ययन- क्रिश्चिन एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट (सीएआरडी) द्वारा केरल राज्य के "वायनाड जिले में पुलपल्ली ग्रामपंचायत के विशेष संदर्भ में आदिवासी महिलाओं के बीच अल्पपोषण के मुद्दों का आंकलन" प्रस्तुत किया गया।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

1. क्रिश्चिन एजेंसी फॉर रूरल डेवल्पमेंट (सीएआरडी) द्वारा "वायनाड जिले में पुलपल्ली ग्रामपंचायत के विशेष संदर्भ में आदिवासी महिलाओं के बीच अल्पपोषण के मुद्दों का आंकलन" शीर्षक नामक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।
2. उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार (तीसरी किश्त) 98,070/-रूपये (केवल अट्ठानबे हजार सत्तर रूपये) की रकम का निर्मोचन।
3. आयोग के पुस्तकालय में रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान/रखी जाएं।
4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट की एक प्रति प्रेषित/भेजी जाएं।

कार्यसूची मद सं. 207/I/5:

अनुसंधान अध्ययन- अर्थव्यवस्था विकास निगरानी संस्थान द्वारा प्रस्तुत "हाशिए के समुदायों पर विशेष ध्यान देने के साथ केरल में महिलाओं के भू-अधिकार"।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

1. अर्थव्यवस्था विकास निगरानी संस्थान, केरल द्वारा 'हाशिए के समुदायों पर विशेष ध्यान देने के साथ केरल में महिलाओं के भू-अधिकार' शीर्षक नामक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया।
2. पीएओ द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति और बिलों/वाउचरों के सत्यापन पर शेष राशि (तीसरी किश्त) जारी करना।
3. आयोग के पुस्तकालय में रिपोर्ट की एक प्रति रखी जाए।
4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट की एक प्रति प्रेषित की जाए।

कार्यसूची मद सं. 207/I/6:

तारीख 17 जुलाई, 2020 को 'विवाह और मातृत्व की आयु की समीक्षा' के मुद्दे पर परामर्श की रिपोर्ट।

आयोग ने विचार विमर्श किया और तारीख 17 जुलाई, 2020 को आयोजित 'विवाह और मातृत्व की आयु की समीक्षा' के मुद्दे पर परामर्श की रिपोर्ट और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रेषित अर्धशासकीय पत्र तारीख 10 अगस्त, 2020 के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 207/I/7:

मैसर्स एनबीसीसी सर्विस लिमिटेड के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग में सिविल, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उपकरणों का वार्षिक रखरखाव संविदा और व्यापक अनुरक्षण संविदा का समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर- के संबंध में

आयोग ने विचार विमर्श किया और राष्ट्रीय महिला आयोग में सिविल, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उपकरणों का वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) और व्यापक अनुरक्षण संविदा (सीएएमसी) को सौंपने के लिए, जो पिछले वर्ष के संतोषजनक कार्य प्रदर्शन के अधीन तीन वर्षों के लिए 85,83,395/-रूपये (केवल पचासी लाख तिरासी हजार तीन सौ पंचानबे रूपये) की वार्षिक अनुमानित लागत के साथ एनबीसीसी सर्विस लिमिटेड और अलग से वार्षिक आधार पर अनुमोदन लिया जा सकता है और मैसर्स एनबीसीसी सर्विसज लिमिटेड (एनएसएल) को 20,40,000/-रूपये (केवल बीस लाख चालीस हजार रूपये) अग्रिम के रूप जारी करने का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची मद सं. 207/II/1:

वर्ष 2020-21 के लिए बजट आबंटन और 31.07.2020 तक उपगत व्यय।

आयोग ने कार्यसूची मद के ब्यौरों के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए बजट आबंटन और 31.07.2020 तक व्यय विवरणी नोट कर लिया।

कार्यसूची मद सं. 207/II/2:

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की मासिक रिपोर्ट

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ के संबंध में मासिक रिपोर्ट (जुलाई, 2020) को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 207/II/3:

जांच समिति की रिपोर्ट- हॉली क्रास अस्पताल, छत्तीसगढ़।

आयोग ने श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्षा, रा.म.आ., श्रीमती हर्षिता पांडे और एक स्थानीय अधिवक्ता श्री अजय मिश्रा वाली जांच समिति की रिपोर्ट, को कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 207/टी/1:

वेबिनार: महिलाओं की तस्करी: उभरती चुनौतियां, बाधाएं और पुनर्वास प्रावधान;

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

1. वेबिनार के कार्यवृत्त का सभी प्रतिभागियों में परिचालन।
2. वेबिनार में चर्चा से प्राप्त सिफारिशें और की गई कार्रवाई रिपोर्ट का संबंधित मंत्रालयों को अग्रेषण।

कार्यसूची मद सं. 207/टी/2:

विधिक सेवा प्राधिकरणों के सहयोग से विधिक जागरूकता कार्यक्रम;

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया:

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के सहयोग से जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने के लिए दिशानिर्देश।
2. 'विधिक जागरूकता कार्यक्रम' के लिए लागत मानदंड।

कैलेंडर प्राप्ति और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें लिंक प्रेषित करने हेतु एनएएलएसए को अग्रिम रूप से अवगत कराना वांछित था।

कार्यसूची मद सं. 207/टी/3:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित वेबिनार प्रस्ताव का कार्योत्तर अनुमोदन।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित 101 वेबिनार प्रस्तावों के चयन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन।
2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 101 वेबिनार प्रस्तावों के चयन का वित्तीय अनुमोदन। इसमें 50,50,000/- रूपये (केवल पांच लाख पांच हजार रूपये) का खर्च आरोपित हो सका। इस रकम में से आवश्यक दस्तावेजों के प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम किश्त के रूप में 25,25,000/-रूपये (केवल पच्चीस लाख पच्चीस हजार रूपये) अर्थात् कुल स्वीकृत राशि का 50% जारी किया जा सकता है।

यह वांछित था कि पीएमआर प्रकोष्ठ जांच करे और एनजीओ/संगठनों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिन्हें अनुदान मंजूर किया गया है और अनुस्मारक जारी किए जाने के बावजूद रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है और ऐसे एनजीओ/संगठनों को ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अध्यक्षा महोदया के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके बैठक समाप्त की गई।

(मीता राजीवलोचन)
सदस्य सचिव

(रेखा शर्मा)
अध्यक्षा